न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड

उपस्थितः– विपिन कुमार–।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)

UPHP010000202024

सत्र परीक्षण सं0–02/2024

सरकार बनाम आबिद।

मु0अ0सं0–477/2009
अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–हापुड़ देहात,
जनपद हापुड़।

आरोप

मैं, विपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड एतद्द्वारा आप **आबिद पुत्र अख्तर** को निम्नांकित आरोप से आरोपित करता हूॅः–

प्रथम– यह कि दिनांक 24.10.2009 को समय 9.00 बजे दिन स्थान किठौर रोड अजय नर्सरी के पास, थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ में वादी मुकदमा एस0आई0 ए0के0 जिंदल व पुलिस पार्टी द्वारा आपके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। जिसका मांगने पर आप कोई वैध लाईसेंस नहीं दिखा सके। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आप **आबिद पुत्र अख्तर** को निर्देश देता हूॅ कि आपके उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 17.01.2024,

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड़।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक 17.01.2024,

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड।

Digitally signed by
VIPIN KUMAR
Date: 2024.01.17
13:43:20 IST
Reason: Charge
Location: ADj-1,
Hapur